संख्या- 244 /2-230/रा0यो0आ0/2017

उत्तराखण्ड शासन,
राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग)
विश्वकर्मा भवन चतुर्थ तल, सचिवालय परिसर।

विज्ञप्ति

राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न विभागों में व्यय वित्त समिति के प्रस्तावों से पूर्व प्राक्कलनों की जांच एवं नियोजन विभाग के अन्तर्गत अन्य तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु सेवानिवृत्त मुख्य अभियंताओं को अनुबन्ध के आधार पर नियुक्त किया जाना है। इस सम्बन्ध में ऐसे डिग्रीधारी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों से निम्न विवरणानुसार अनुबन्ध (नियत मानदेय) के आधार पर नियत कालिक नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या	नियत मानदेय	अर्हता
1	सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता स्तर	01	रू0 1,00,000.00 (एक लाख)	सड़क एवं सेतु कार्यों का निर्माण, डी0पी0आर0 गठन का विस्तृत अनुभव

1. आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्तियां पूर्ण रूप से अनुबन्ध के आधार पर 02 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष जो भी पहले घटित हो, के आधार पर की जायेगी।
3. निर्धारित आवेदन प्रारूप, योग्यता, शर्तें तथा निर्देश राज्य योजना आयोग की website: spc.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपर सचिव, राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक- 28-02-2020 तक उपलब्ध करा दें।

(गंगा प्रसाद पन्त)
तकनीकी विशेषज्ञ,
राज्य योजना आयोग।

नियम एवं शर्तें

1. आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. उपरोक्त सभी पदों पर नियुक्तियां पूर्ण रूप से अनुबन्ध के आधार पर 02 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष जो भी पहले घटित हो, के आधार पर की जायेगी। नियुक्ति के उपरान्त आवेदक को अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा, जिसमें सेवा सम्बन्धी शर्तों का उल्लेख होगा।

3. आवेदक द्वारा पूर्व में नियोजित विभाग से आवेदक के विरूद्ध किसी भी प्रकार की Vigilance/अपराधिक/अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही न होने तथा विभागीय स्तर पर कार्यवाही लंबित न होने का घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना होगा।

4. प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच (Scrutiny) के उपरान्त अर्ह अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। इस संबंध में आवेदक को पृथक रूप से सूचित किया जायेगा।

5. साक्षात्कार में चयनित आवेदकों को सूचीबद्ध किया जायेगा। सूचीबद्ध होने के पश्चात विपरीत स्थिति पाये जाने/कार्यों में शिथिलता की दशा में सूचीबद्ध कार्मिक का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

6. स्थलीय सत्यापन/जाँच कार्यों हेतु अभियन्ताओं को यात्रा भत्ता/पारिश्रमिक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रति भ्रमण की दर से नियमानुसार देय होगा।

7. निर्धारित आवेदन प्रारूप, योग्यता, शर्तें तथा निर्देश राज्य योजना आयोग की website: spc.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे में ''सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता पद पर अनुबन्ध के आधार पर नियुक्ति'' अंकित करते हुए आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अपर सचिव, राज्य योजना

आयोग (नियोजन विभाग), विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, देहरादून को पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक-28-02-2020 तक उपलब्ध करा दें।

सचिव,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग),
उत्तराखण्ड शासन।

आवेदन पत्र प्रारूप

अ. व्यक्तिगत विवरणः

आवेदक का नाम :
पिता का नाम :
जन्मतिथि :
आवासीय पता :
पत्राचार का पता :
ई-मेल :
दूरभाष :
स्थानीय भाषा का ज्ञान :

ब. शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण विवरण :

परीक्षा/उपाधि का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	संस्थान

हाईस्कूल
इण्टरमिडिएट
बी.टैक/बी.ई.
एम.टैक./एम.ई.
पी0एच0डी0
अन्य

ग. तकनीकी योग्यता विवरण

तकनीकी अनुभव की अवधि (विवरण संलग्न करें) :

सेवानिवृत्ति के समय धारित पद :

विभाग का नाम :

मूल वेतन :

प्रशासनिक कार्य प्रणाली का विवरण :

विभिन्न तकनीकी संस्थानों की सदस्यता :

विशिष्ट अनुभव :

कार्य विधि/कार्य प्रणाली का विवरण :

विशिष्ट कार्यों का विवरण :

सिविल अभियान्त्रिकी क्षेत्र में निर्माण कार्यों का विवरण (सड़क/सेतु/पेयजल एवं सीवरेज आदि)

अभ्यर्थी/अभ्यर्थीनी का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्रः 1

मैं निवासी जनपद घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे संघ सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय/स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार/राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी निगम/निकाय द्वारा पदच्युच नहीं किया गया है। मेरे विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाच लम्बित नहीं है तथा मैं नैतिक अधमता अथवा किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध नहीं हूँ।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थीनी का नाम एवं हस्ताक्षर

घोषणा पत्र-2

मैं निवासी जनपद घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा जो विवरण आवेदन पत्र में अंकित किया गया वह सत्य हैं, चयन/नियुक्ति किसी स्तर पर कोई गलत सूचना पाये जाने अथवा फर्जी पाये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाय।

अभ्यर्थी/अभ्यर्थीनी का नाम एवं हस्ताक्षर

अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में विश्वकर्मा भवन, सचिवालय परिसर, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड़, देहरादून के कक्ष संख्या-414 अथवा दूरभाष संख्या- 9410314099 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव,
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग),
उत्तराखण्ड शासन।